पत्र संख्या–6 / ब0गै0यो0–01–15 / 2016गृ0आ0................

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

सीतामढ़ी।

पटना, दिनांक नवम्बर, 2016

विषयः– **बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों को सुविधा मुहैया कराने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधियाचित राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–476 / निर्वा0, दिनांक 27.08.2016 द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों को उपलब्ध कराये गये विभिन्न सुविधाओं यथा आवासन, पेयजल एवं शौचालय से संबंधित किये गये कार्यो के लंबित विपत्रो के भुगतान हेतु आपसे प्राप्त अधियाचना के आलोक में कार्यालय व्यय मद में कुल ₹ 43,95,500 (तैतालीस लाख पंचानवे हजार पाँच सौ रू0) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. उपर्युक्त राशि का आवंटन चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना की मांग सं0–22 मुख्य शीर्ष–2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0009–प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय, विषय शीर्ष 13 01–कार्यालय व्यय तथा विपत्र कोड N2055000010009 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, सीतामढ़ी से की जायेगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों की कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाये।

10. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात संलग्न किये जायें।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र अवश्य अंकित किया जाये।

12. वांछित डी0सी0 विपत्र / उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाये।

13. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाये।

14. उपर्युक्त में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0–6 / ब0गै0यो0–01–15 / 2016गृ0आ0..पटना, दिनांक नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0–6 / ब0गै0यो0–01–15 / 2016गृ0आ0..पटना, दिनांक नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि :– प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0–6 / ब0गै0यो0–01–15 / 2016गृ0आ0 8886 ....पटना, दिनांक 11 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि :– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/16

सरकार के अवर सचिव